

71

16.7.02

राजस्थान सरकार
राजस्व & ग्रुप-6 & विभाग

क्रमांक:- प 5838 राज-4/74/राज-6/पाट/46 जयपुर दिनांक:- 16.7.02

-: अधिसूचना :-

राजस्थान कृषि श्रमिणाता अवमुक्ति अधिनियम, 1957 & राजस्थान अधिनियम संख्या 28 वर्ष 1957 & की धारा-3 स्पष्टित राजस्थान कृषि श्रमिणाता अवमुक्ति नियम 1957 के नियम 5 के उप-नियम & 18 के अनुसरण में इस विभाग द्वारा जारन अधिसूचना क्रमांक प. 5838 राज-4/74/राज-6/30 दिनांक 22.11.95 की अनुसूची 14 की क्रम संख्या-7 एवं अनुसूची 15 की क्रम संख्या-6 निम्न प्रकार संशोधन कर प्रतिस्थापित किया जाता है:-


अनुसूची 14. श्री गंगानगर न्यायालय & श्री गंगानगर जिला &

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	मुख्यालय	प्रादेशिक सीमा	आर्थिक सीमा क्षेत्र
7.	सिविल जज & व0 उ0 & अनुपगढ	अनुपगढ	न्यायालय के सामान्य सिविल अधिकारिता क्षेत्र की प्रादेशिक सीमाएं	रुपये 25,000/- से अधिक

अनुसूची 15. हनुमानगढ न्यायालय & जिला हनुमानगढ &

6.	सिविल जज & व0 उ0 & भादर	भादर	न्यायालय के सामान्य सिविल अधिकारिता क्षेत्र की प्रादेशिक सीमाएं	रुपये 25,000/- से अधिक
----	----------------------------	------	---	------------------------


राज्यपाल के आदेश से,


& एन0 एन0 शर्मा &
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक, मुख्यमंत्री/राजस्वमंत्री/मुख्य सचिव/राजस्व सचिव
2. जिला कलेक्टर श्री गंगानगर / हनुमानगढ, राजस्थान ।
3. सचिधि एवं विधिक कार्य विभाग को सूचनार्थ ।
4. संबंधित न्यायालय, राजस्थान ।

5. राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग ।
6. निदेशक जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर ।
7. विधि ॥ संहिताकारणा ॥ विभाग
8. वृगवस्था एवं पद्धति विभाग ।
9. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान, जयपुर को राजपत्र विशिष्टांक दिनांक 16.7.02 में प्रकाशनार्थ ।
10. श्री विश्वचन्द्र माधुर, लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर ।
11. आल परपज रेवेन्यू ट्रेनिंग स्कूल, टोंक ।
12. आर० आर० टि० आई, अजमेर ।
13. "राजविरा" राजस्व मण्डल अजमेर ।
14. अतिरिक्त निबन्धक ॥ रजिस्ट्रार एवं लेखा ॥ राजस्व मण्डल, अजमेर ।
15. सूचना एवं प्रौद्योगिकी ॥ कम्प्यूटर्स विभाग ।
16. रजिस्ट्रार पत्रावली ।


शासन उप सचिव